

प्रेस- नोटथाना - अहरौलापुलिस मुठभेड़ में अपहरण की घटना कारित कर फिरौती मांग करने वाला बदमाश घायल/गिरफ्तार; अवैध असलहा व कारतूस बरामदपूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक- 13.02.2024 को वादी देवप्रिय निवासी ग्राम दुर्वासा थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी 1. राम प्रवेश यादव पुत्र व पता अज्ञात 2. सन्दीप सोनकर पुत्र व पता अज्ञात 3. 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपने स्विफ्ट डिजायर कार से श्री शंकर जी इण्टर कालेज कटवा गहजी बाजार से वादी मुकदमा व इसके भाई रामकिंकर गिरी की बाइक को रोककर कट्टा सटाकर पैसे की मांग करते हुए जबरजस्ती अपहरण कर लिया गया पैसा न देने पर मारपीट किया गया, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 55/24 धारा 365/357/347 भादवि बनाम 1. राम प्रवेश यादव पुत्र व पता अज्ञात 2. सन्दीप सोनकर पुत्र व पता अज्ञात 3. दो अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 रमाशंकर दुबे द्वारा की जा रही है।

➡ उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 02 टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम में -

➡ विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में अज्ञात 02 अभियुक्तों का नाम 1. पंकज यादव पुत्र अज्ञात निवासी लहुरावन थाना अहरौला आजमगढ़ 2. अभिषेक यादव उर्फ तुफानी यादव पुत्र रामबली यादव निवासी भीमलपट्टी थाना अहरौला आजमगढ़ के रूप में प्रकाश में आया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 387 भादवि0 बढ़ोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण (पुलिस मुठभेड़)-

आज दिनांक 16.02.2024 को समय सुबह लगभग 06.35 बजे थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे के मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कोठरा मोड़ के तरफ आ रहा है जो अपने पास अवैध शस्त्र लिया हुआ जो किसी घटना को कारित करने वाला है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी अहरौला मय हमराह के साथ कोठरा मोड़ के पास पहुँचे, जहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद था, जो पुलिस टीम को देखकर भागने लगा कि पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को पकड़ने के लिए घेराबन्दी की गयी, जिस पर उक्त व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस से घिरता देखकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग किया गया, पर्याप्त चेतावनी के पश्चात भी बदमाश ने पुलिस बल पर पुनः फायर किया पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, उपचार हेतु सीएचसी अहरौला भेजा गया जहाँ से जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया है।

➡ जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 430 रुपये नगद बरामद किया गया।

➡ घायल बदमाश की पहचान रामप्रवेश यादव उर्फ प्रवेश यादव पुत्र सतीराम यादव निवासी लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ (उम्र 24 वर्ष) के रूप में की गयी।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 64/24 धारा 307 भादवि0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि फिरौती मांगने के उद्देश्य से अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण जैसी घटना कारित करता है, जिसके क्रम में दिनांक 12.02.2024 को समय लगभग 13.30 बजे घायल अभियुक्त अपने 03 साथियों के साथ स्विफ्ट डिजायर कार से श्री शंकर जी इण्टर कालेज कटवा गहजी बाजार से वादी मुकदमा देवप्रिय व इसके भाई रामकिंकर गिरी के बाइक रोककर मारते पीटते हुए कट्टा सटाकर अपहरण करके 20 हजार रूपये की मांग किये, अपहरण की सूचना पर थाना अहरौला पुलिस द्वारा चेकिंग व तलाश की जाने लगी, इस पर अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा व उसके भाई को मौके से छोड़ कर भाग गये।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 55/24 धारा 365/357/347/387 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
- 2- मु0अ0सं0 64/24 धारा 307 भादवि0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 55/24 धारा 365/357/347/387 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 119/19 धारा 379/411 भादवि0 थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 20/19 धारा 379/411 भादवि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 138/19 धारा 307 भादवि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 156/19 धारा 323/354 (ख)/504/506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना अहरौला
6. मु0अ0सं0 176/19 धारा 41/411/419/420 भादवि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामप्रवेश यादव उर्फ प्रवेश यादव पुत्र सतीराम यादव निवासी लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
बरामदगी- एक तमंचा 315 बोर व दो खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर व 430 रुपया

वांछित/फरार अभियुक्तों के नाम-

1. सन्दीप सोनकर पुत्र नीबू लाल सोनकर पता इब्राहीमपुर गहजी थाना अहरौला आजमगढ़
2. पंकज यादव पुत्र अज्ञात निवासी लहुरावन थाना अहरौला आजमगढ़
3. अभिषेक यादव उर्फ तुफानी यादव पुत्र रामबली यादव निवासी भीमलपट्टी थाना अहरौला आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री सुनील कुमार दूबे, उ0नि0 रमाशंकर दूबे ,हे0का0 विमलेश तिवारी ,हे0का0 जयप्रकाश यादव,हे0का0 का0 प्रमोद कुमार यादव, का0 आलोक कुमार थाना अहरौला आजमगढ़ ।